UPLL010032282022

In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/432/2022

STATE OF U.P. Vs. Moolchand @ Halku

CHARGE

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्तगण मूलचन्द्र उर्फ हल्कू पुत्र बैजनाथ रैकवार, निवासी रजवारा, थाना कोतवाली ललितपुर, अनिल पुत्र कैलाश रैकवार, निवासी रजवारा थाना कोतवाली ललितपुर व नीरज पुत्र प्यारेलाल सेन, निवासी ग्राम बम्होरीनगदा टीकमगढ़, मध्यप्रदेश को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:-

1- यह कि घटना की दिनॉक 08.05.2018 को समय 06 बजे स्थान रजवारा तलाब के पास पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में पत्थर उठाकर ट्रैक्टर चालक को मारा गया जो ट्रैक्टर चालक को न लगकर वादी के पुत्र के सिर में लगा तथा वादी का पुत्र चालक के ऊपर गिर गया, जिससे ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर आगे आ रही भैंसों से टकरा कर पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार व्यक्तियों को गंभीर चोटें आयी। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा कृत्य कारित किया गया है कि यदि आपके उक्त कृत्य से मृत्यु होती तो आप हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा का ट्रैक्टर पलटा कर उसका नुकसान कारित किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक-18.04.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक-18.04.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by Chandroday Kumar
Date: 2023.04.17 17:35:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/432/2022

STATE OF U.P. Vs. Moolchand @ Halku

18.04.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए उन्हें उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा पत्थर मारकर वादी मुकदमा, उसके पुत्र व ट्रैक्टर चालक पर पत्थर मारा गया, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और वादी व ट्रैक्टर पर सवार व्यक्तियों को चोटें आईं तथा ट्रैक्टर के पलट जाने से उसमें नुकसान कारित हुआ। इसलिए अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 308/34, 427 भा.द.सं. के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 308/34, 427 भा.द.सं. के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

दिनॉक–18.04.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।